न्यायालय अपर कलेक्टर, एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (सूचना का अधिकार अधि.) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

प्रथम अपील प्रकरण कमांक 07/2021
ग्राम धमतरी तहसील व जिला धमतरी

अपीलार्थी श्री जय प्रकाश सिन्हा संपादक,
मितान बंधू नवीन कन्या स्कूल के पास
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी .... उत्तरवादी

आदेश
(पारित दिनांक 18/6/2021)

अपीलार्थी श्री जय प्रकाया सिन्हा संपादक, मितान बंधू नवीन कन्या स्कूल के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर धमतरी जिला धमतरी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नांकित जानकारी चाही गई थीः–

1– शीट कमांक 38 भुखण्ड कमांक 64/3, भुखण्ड कमांक 64/5, कमांक 64/6, भू स्वामी (पट्टाधारी) व क्षेत्रफल की प्रमाणित सूचना।
2– शीट कमांक 38 भुखण्ड कमांक 67/2, भू स्वामी (पट्टाधारी) व क्षेत्रफल की प्रमाणित सूचना।
3– शीट कमांक 38 भुखण्ड कमांक 14/1, भू स्वामी (पट्टाधारी) व क्षेत्रफल की प्रमाणित सूचना।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी द्वारा समय–सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2/ जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी के जवाब में यह बताया गया है कि श्री जय प्रकाश सिन्हा संपादक समाचार पत्र मितान बंधू के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी की मांग की गई थी। श्री जयप्रकाश सिन्हा का आवेदन तहसीलदार नजूल से संबंधित होने के कारण आवेदन को धारा 6(3) के तहत कार्यालयीन पत्र कमांक 1700/ज.सू.प्र./लि. 2020 धमतरी दिनांक 23.02.2021 के द्वारा तहसीलदार नजूल को स्थानातरित कर दिया गया था।

3/ प्रकरण का अध्ययन कर मनन किया गया । प्रकरण से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने वांछित जानकारी की मांग जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी से किया था । परन्तु जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी के द्वारा मूल आवेदन को धारा 6(3)(2) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी मानते हुए तहसीलदार नजूल धमतरी को हस्तांतरित कर दिया गया था, जबकि तहसीलदार नजूल का जन सूचना अधिकारी वे स्वयं है । इस स्थिति में अपीलार्थी के मूल आवेदन को धारा 6(3)(2) के तहत तहसीलदार नजूल धमतरी को हस्तांतरित करने का कारण अस्पष्ट है। इसलिए जन सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय धमतरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करें । तद्नुसार अपील स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश आज दिनांक 18/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से पारित किया गया।

(डी. के.अग्रवाल)
अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)

पृ.क. 268/वाचक/ अ.कले./2021
धमतरी दिनांक 18/6/2021

प्रतिलिपिः—

1— जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी को सूचनार्थ ।
2— जिला सूचना केन्द्र धमतरी को जिला कार्यालय धमतरी के वेबसाइड में अपलोड हेतु अग्रेषित।
3— श्री जय प्रकाश सिन्हा संपादक, मितान बंधू नवीन कन्या स्कूल के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)